वित्त मंत्री

श्री सुरेश कुमार खन्ना

का

2022-2023 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट अनुमानों पर
माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

मान्यवर,

भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के इस द्वितीय कार्यकाल के पहले वित्तीय वर्ष 2022–2023 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये मैं प्रदेश की जनता का अभिनन्दन करना चाहूँगा जिसने हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में किये गये जन कल्याण और विकासोन्मुखी कार्य को देखते हुये, जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को बनाये रखने के लिये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कायम रखते हुये हमें पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिये चुना हो।

हमारी सरकार का वर्ष 2017–2018 से 2021–2022 का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में सफलताओं और प्रदेश के दीर्घकालिक व सतत् विकास की नीतियों के प्रतिपादन और निष्पादन का रहा है। हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया। माफियाओं, गुण्डों और दंगाईयों के आतंक से जनसामान्य को राहत दिलाई। प्रदेश में उद्योग धन्धों को बढ़ावा दिया गया, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को शासन–प्रशासन और सामान्यजन के मध्य बढ़ावा दिया गया, अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया गया, चिकित्सा सुविधाओं–विशेषकर कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में विश्वस्तरीय कीर्तिमान स्थापित किये गये।

मान्यवर,

यह सबके समक्ष है कि पिछले दो वर्षों में पूरे विश्व और देश के साथ उत्तर प्रदेश ने कोविड–19 जैसे वैश्विक महामारी का जिसके समक्ष विश्व की बड़ी शक्तियाँ कहे जाने वाले देश बेबस और लाचार नजर आये, की विभीषिका को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्ग–निर्देशन में बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ सामना किया। प्रशासन तंत्र और हमारे देशवासी व प्रदेशवासी इस चुनौतीपूर्ण समय में कंधे से कंधा मिला कर खड़े रहे। ऐसी परिस्थितियों

में ही नेतृत्व की परीक्षा होती है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अद्भुद नेतृत्व प्रदान किया जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गयी। मैं इन दोनों अप्रतिम नेताओं को यह पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ–

'' वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हों,
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या
जब धाराएं प्रतिकूल न हों ।।''

मान्यवर,

हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण का मोचन कराया गया।

गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है । हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017–2018 से 2021–2022 तक के सापेक्ष 16 मई, 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10 हजार 662 करोड़ रूपये की धनराशि भी शामिल है। यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुये गन्ना मूल्य भुगतान से 77 हजार 500 करोड़ रूपये अधिक है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

हमने **इन्वेस्टर्स समिट–2018** का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 03 जून को **इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी** में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जायेगा। कोविड कालखण्ड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाये रखने हेतु **विशेष हेल्प डेस्क** संचालित किया गया।

राज्य सरकार एक्सप्रेस–वे, जलमार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मोडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढ़ांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश **5 एक्सप्रेस–वे** वाला **देश का पहला प्रदेश** बन गया है।

लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई–अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र

ही **5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट** वाला **देश का पहला प्रदेश** बन जायेगा ।

विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे– मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवन्तरि हेल्थ पार्क, अमृतसर–कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, आई.आई.टी.–जी.एन.एल. ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांस गंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेन्ट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरेल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, फ्लैटेड फैक्टरियां आदि के सम्बन्ध में द्रुत गति से कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित **''एक जनपद–एक उत्पाद''** के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रूपये हो गया है।

यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग** में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए **देश में द्वितीय स्थान** प्राप्त किया है।

प्रदेश स्तर पर अन्तर्जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की **''वन नेशन वन राशन कार्ड योजना''** के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई, 2020 से लागू है जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मई, 2020 से मार्च, 2022 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ–साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया जिस पर लगभग 4801 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। **इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुये। यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है जिसका विस्तार अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक कर दिया गया है।**

प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 03 करोड़ मजदूरों को मार्च, 2022 तक 500 रूपये प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह का भत्ता दिया गया।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना।

पिछले 05 वर्षों में **प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत** प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

सौभाग्य योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिये गये।

एण्टी भू–माफिया अभियान के अन्तर्गत 64 हजार 398 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी गयी है। 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू–माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू–माफिया जेल में निरूद्ध हैं तथा 4274 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

पिछले पाँच वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश के अग्रणी राज्यों में आ चुका है।

मान्यवर,

माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है और तभी हम यह दावा कर सकते हैं किः–

''जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता,
काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना।
मेरी पीढ़ी को एक चिराग बनके जलना है,
जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना।।''

कानून व्यवस्था

सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति **''जीरो टॉलरेन्स''** की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाये जाने एवं आपराधिक/ असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 3,762 घायल हुये। गैंगस्टर अधिनियम में 51696 एवं एन.एस.ए. में 730 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

प्रदेश स्तर पर 50 चिन्हित माफिया व इनके गैंग के सदस्यों/ सहयोगियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त, जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफिया चिन्हित कर जैसे आपराधिक माफिया, भू–माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, मादक पदार्थ/शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गौ–तस्कर माफिया व अन्य माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु **''मिशन शक्ति अभियान''** के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अत्यन्त प्रभावी कार्यवाही की गई।

विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के अन्तर्गत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव निर्विध्न एवं निर्विवाद रूप से सकुशल सम्पन्न हुये। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, डिजिटल वालण्टियर एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में छोटी से छोटी सूचना का त्वरित गति से संज्ञान लेकर उन पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गयी जिसके परिणामस्वरूप कोई अफवाह वृहद रूप ले उससे पूर्व ही उस पर सकारात्मक निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिससे निर्वाचन के दौरान कोई भी वृहद घटना नहीं घटित हुई। प्रदेश ही नही बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सराहना की गयी।

आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ए0टी0एस0 सेन्टर देवबन्द का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में ए0टी0एस0 सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा।

- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद / लखनऊ खण्डपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो रेल, धार्मिक स्थलों (अयोध्या, काशी, मथुरा), ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु **उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल** का गठन किया गया है जिसके लिये 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली** के अन्तर्गत यू0पी0 112 (डायल 100) योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022–2023 में प्रारम्भ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **सेफ सिटी योजना** के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र/शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उ0प्र0 फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है ।
- पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये

तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर,

हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है। अतः देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी दृष्टि से प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। कोविड–19 महामारी से वित्तीय वर्ष 2020–2021 और 2021–2022 में विश्व व्यापी आर्थिक मंदी रही जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में सफल होंगे।

''मंजिल उन्हीं को मिलती है,
जिनके सपनों में जान होती है।
पंख से कुछ नहीं होता,
हौसलों में उड़ान होती है।।''

किसान

- हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017–2018 से 2021–2022 तक के सापेक्ष दिनाँक 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान, कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रूपये से 77,530 करोड़ रूपये अधिक है।
- प्रदेश में **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** माह दिसम्बर, 2018 से संचालित है। योजना के अन्तर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये है।
- **मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुये खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार के साथ–साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बॅटाई पर कृषि कार्य करते हैं, को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में

अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल/ विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना** के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।
- कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिये वर्ष 2021–2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022–2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2021–2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022–2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
- प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को **मुफ्त सिंचाई सुविधा** उपलब्ध करायी जा रही है।
- **मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना** हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **खरीफ विपणन वर्ष 2021–2022** में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टलएवं धान ग्रेड–ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया। खरीफ वर्ष 2021–2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में ई–पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रूपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है।
- **रबी विपणन वर्ष 2022–2023** में भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूँ क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 15 जून, 2022 तक निर्धारित है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनाँक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय किया गया।
- वर्ष 2020–21 में रूपये 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख का **अल्पकालिक ऋण** प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका हैं जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुये। वर्ष 2021–2022

में लगभग रूपये 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुये।

महिला

- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये **''महिला हेल्प डेस्क ''** की स्थापना की गयी है जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया है।
- महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु **03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन** लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है।
- अगस्त, 2020 में गठित **''महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन''** का क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है।
- **महिला सामर्थ्य योजना** हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- **बेटी पढ़ाओं, बेटी बचाओं** के आवाहन में यू.पी.एस.ई.ई.–2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया ।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में **मिशन शक्ति कार्यक्रम** के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 2021 से 1500 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

बाल कल्याण

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। **दस्तक कार्यक्रम** इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप एईएस/जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है।

- **सिक एण्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स** के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करते हुये सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में प्रति वर्ष एक लाख से

अधिक बच्चों की मृत्यु को रोका है। इसी क्रम में गति को जारी रखते हुये सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है और 203 ब्लॉक स्तरीय केन्द्रों को बढ़ावा देकर **कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों** को जिलों से ब्लॉक तक ले जाने के लिये बजटीय प्रावधान किया जा रहे हैं।

- कोविड–19 संक्रमण के कारण अनाथ/प्रभावित हुये बच्चों के भरण–पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु **'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना'** का संचालन किया जा रहा हे। योजनान्तर्गत पात्र बच्चों को 4000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- कोविड–19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता–पिता अथवा दोनों / अभिभावक को खोने वाले बच्चों के भरण–पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु **'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)'** का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
- **नया सवेरा** कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज से **बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है**। जरूरतमंद परिवारों को नकद हस्तांतरण किया जा रहा है ताकि परिवार उन बच्चों की शिक्षा जारी रख सकें जिनके बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है। कार्यक्रम के अत्यन्त उत्साहजनक परिणाम आए हैं और **कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है।**
- **ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प** कार्यक्रम का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को रूपान्तरित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है जिसने पिछले वर्षों की गिरावट के रूझानों को उलट दिया है।

युवाओं के लिये

- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर, 2021 से **निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना** प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा वितरित किये जा रहे हैं। **लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।** इस हेतु **स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए **नयी उ0प्र0 स्टार्टअप नीति–2020** के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं ।
- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना** का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **युवा अधिवक्ताओं** को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
- जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में **मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय** का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी, 2022 को मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिस पर 700 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- भारत सरकार की **खेलो इण्डिया एक जनपद–एक खेल** योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना कराये जाने की योजना है।
- खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये वित्तीय वर्ष 2021–2022 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये हैं।

रोजगार

प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से **01 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में** रोजगार उपलब्ध कराया गया । **60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार** से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 05 वर्षों में **युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया।** मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि जहाँ **जून, 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल, 2022 में यह घट कर 2.9 प्रतिशत रह गयी है**।

- **उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन** द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुये प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें **4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया** है।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और **04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **मनरेगा योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2021–22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में **मनरेगा योजनान्तर्गत** 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों** की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021–2022 **में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुये जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन** हुआ।
- प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित **ग्राम सचिवालयों** के सुचारू संचालन हेतु **56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर्स** का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5000 इकाईयों को स्थापित कराया गया तथा 4187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- **मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- **माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन** में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन किया गया है।
- **चिकित्सा शिक्षा** के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी तथा लगभग 10,000 नये पद सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा

- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **निराश्रित महिला पेंशन** योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में इस योजना के अन्तर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में इस योजना हेतु 4032 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह** योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **दिव्यांग** भरण–पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रूपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण योजना** के अन्तर्गत 3000 रूपये प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना** हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्रमिक एवं स्ट्रीट वेण्डर

- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में 01–01 **अटल आवासीय विद्यालयों** की स्थापना करायी जा रही है। इस हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कामगारों / श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किये जाने हेतु **''उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन और रोजगार) आयोग''** का गठन किया गया है।
- शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु **प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना** के अन्तर्गत 08 लाख से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश के 10 शहरों में 19 **मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग जोन्स** का विकास किया जा रहा है। शहरी बेघरों के लिये **आश्रय योजना** के अन्तर्गत 130 **शेल्टर होम** क्रियाशील किये जा चुके हैं।

मान्यवर,

माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को ''आत्मनिर्भर भारत'' का मंत्र दिया है जिसका परम उद्देश्य भारत देश को हर क्षेत्र में चाहे वह मैन्यूफैक्चरिंग हो, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उद्योग–धन्धे हों, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि हो, आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के तहत योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने का विजन दिया। हम इस दिशा में दृढ़ इच्छाशक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता एक स्वस्थ, विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है। यहाँ पर मुझे दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं–

"गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक,
अम्बर तक तो वहीं उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।।"

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकार्ड समय में की गई है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **आयुष्मान भारत योजना** के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके है। योजना हेतु 560 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना** हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना** हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु **राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा** योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एच0पी0वी0 वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों** को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा

प्रदेश में उच्चकोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किये जाने के दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है।

राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधा से आच्छादित हैं व 14 जनपदों में राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में 02 एम्स (गोरखपुर व रायबरेली), आई0एम0एस0 बी0एच0यू0, वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज अलीगढ़ संचालित हैं।

प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा पी0पी0पी0 नीति घोषित की गयी है जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।

- **लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2022** के अनुरूप एम0बी0बी0एस0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ** की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 14 जनपदों–बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरेया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में

निर्माणाधीन **नये मेडिकल कॉलेजों** के लिए 2100 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना** हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की निर्धन आबादी को **असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा** मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आयुष

- गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रूपये के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है।

- **फास्ट–ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग** के लिए '**पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान'** तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं के विकास हेतु **'अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्टचर मिशन'** का कार्यान्वयन किया जायेगा जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना** के अन्तर्गत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **आप्टिकल फाईबर केबल नेटवर्क** पर पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में **डिजिटाईजेशन** को बढ़ावा देने वाली पूँजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बन्द पड़ी वस्त्रोद्योग इकाईयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि से पूँजीगत परियोजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनायी गयी है।
- लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लम्बे, 6–लेन के प्रवेश नियंत्रित **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे** का संचालन नवम्बर, 2021 से प्रारम्भ हो चुका है तथा **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे** का 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है जिसको शीघ्र जनसामान्य के लिये सुलभ करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़े जाने हेतु निर्माणाधीन **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे** का निर्माण कार्य 40 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कर लिया गया है।

- **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर** परियोजनान्तर्गत 8640 करोड़ रूपये के 62 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- 'लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022' की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के **सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर** विकसित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मेरठ से प्रयागराज** तक 594 किलोमीटर लम्बी 06 **लेन गंगा एक्सप्रेसवे** परियोजना हेतु भूमि क्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। जिसके लिये 695 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है।

लोक निर्माण

- सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रूपये 18 हजार 561 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 04 हजार 747 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामों एवं बसावटों को **सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों** से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये 01 हजार 965 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरों एवं कस्बों में वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप यातायात बाधित होने/ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के **बाईपास एवं रिंग रोड़** तथा **चौराहों पर फ्लाईओवर** आदि के निर्माण हेतु वर्ष 2022–2023 के लिये 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- काशी विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रमुख/अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 1600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूँजी मद में 1750 करोड़ अर्थात कुल 3750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं जल संसाधन

- हमारी सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में 20 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई जिससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में बाढ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रू0 2751 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- तटबन्धों का निर्माण/उच्चीकरण/सुदृढीकरण की परियोजनाओं हेतु 356 करोड का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाओं हेतु 1328 करोड का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु 144 करोड का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु रू0 800 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- एल0टी0आई0एफ0 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में मध्यगंगा नहर परियोजना हेतु रू0 600 करोड़, सरयू नहर परियोजना हेतु रू0 310 करोड़ तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु रू0 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 423 करोड़ एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुर्ननिर्माण की परियोजना हेतु 130 करोड का बजट प्रस्तावित किया गया है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- वर्ष 2021–2022 के बजट में **जल जीवन मिशन** के अन्तर्गत 15,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधाान था जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 19,500 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना** हेतु 1000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री आर0 ओ0 पेयजल योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मण्डल के जनपदों के

सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराये जाने का लक्ष्य है।

नागरिक उड्डयन

- प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की **रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम** के माध्यम से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा **''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति''** प्रख्यापित की गई है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ–साथ अन्य उड़ानों के लिये भी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- आने वाले कुछ समय में आमजन को अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, कुशीनगर एवं अयोध्या एयरपोर्ट्स से हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध होगी।
- **लोक कल्याण संकल्प पत्र–2022** के अनुसार जेवर एयरपोर्ट को एक **एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेन्टर** के साथ रख–रखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने तथा अयोध्या में **मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे** का निर्माण पूर्ण करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा

- वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे तहसील मुख्यालय पर 21.30 घण्टे और गावों को 18 घण्टे बिजली दिये जाने का रोस्टर निर्धारित है।
- वर्ष 2021–2022 में माह अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 17.50 घण्टे, तहसील क्षेत्र में 21.11 घण्टे तथा शहरी क्षेत्र में 23.21 घण्टे आपूर्ति की गई।
- ग्रीष्म काल में ग्रामीण क्षेत्र में सांयकाल 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी जिसके लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रूपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी ।
- वर्ष 2019–2020 में विद्युत उत्पादन 33 हजार 79 मिलियन यूनिट, वर्ष 2020–2021 में विद्युत उत्पादन 33 हजार 425

मिलियन यूनिट तथा वर्ष 2021–2022 में विद्युत उत्पादन 35 हजार 21 मिलियन यूनिट रहा।

- दिनांक 01 जनवरी, 2022 से **निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।**
- प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय उत्पादन परियोजनाओं यथा घाटमपुर, ओबरा 'सी' व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 6100 करोड़ रूपये की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण पी0पी0पी0 पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 3667 करोड़ रूपये की परियोजनायें पूर्ण कर ली गयी हैं। लगभग 2433 करोड़ रूपये की लागत की पारेषण परियोजनायें निर्माणाधीन हैं।
- विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जाने तथा हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रूपये की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना **''रीवैम्प्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम''** भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की जा रही है जिसे 03 वर्षों में पूरा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 5530 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 से वर्ष 2021–2022 तक 705 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये गये एवं 1413 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी गयी।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 4000 मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये **ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर** का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक 1819 मेगावॉट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित की गयी हैं।
- प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 251 मेगावॉट क्षमता की रूफटॉप सोलर पॉवर प्लाण्टों की स्थापना की गयी है।
- **बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गाँवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कराई जायेगी। इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में **जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा** के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से नीति जारी की गयी है जिसके अन्तर्गत बायो डीजल, बायो इथेनॉल, मैथेनॉल, बायो गैस, बायो सी.एन.जी., प्रोड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन

इकाईयों की स्थापना करायी जा रही है। नीति के अन्तर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में 2492 करोड़ रूपये के निवेश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आवास

- **उ0प्र0 वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2018** में परिभाषित निजी लॉजिस्टिक्स पार्क तथा लॉजिस्टिक्स इकाइयों को भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने तथा विकास प्राधिकरणों की महायोजना क्षेत्र में लागू विकास शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान की छूट प्रदान किये जाने हेतु फरवरी, 2020 को अधिसूचना निर्गत की गयी है। उक्त निर्णय से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क एवं वेयरहाउसिंग में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- दुर्बल/अल्प/लघु/मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु **अफोर्डेबल हाऊसिंग** उपलब्ध कराये जाने के लिये **अफोर्डेबल हाऊसिंग उपविधि–2021** निर्गत की गयी है। इससे दुर्बल/अल्प/लघु मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप भवन उपलब्ध होंगे।
- निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप निर्मित की जाने वाली ई0डब्लू0एस0 इकाईयों के पंजीयन हेतु स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हुये इसे 500 रूपये निर्धारित किया गया है। इससे ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आवेदको को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए0एच0बी0** घटक के अन्तर्गत कुल 153 परियोजनाओं के सापेक्ष 1,32,493 भवन स्वीकृत किये गये है। अद्यतन 89 परियोजनाओं के अन्तर्गत 70489 भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
- **अयोध्या स्थित सूर्य कुण्ड** के विकास सहित अयोध्या नगरी के संर्वागीर्ण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 140 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित है।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना** की अनुमोदित लागत 11,076 करोड रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 747 करोड रूपये का बजट प्रस्तातिव है।
- **आगरा मेट्रो रेल परियोजना** की अनुमोदित लागत 8380 करोड रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 597 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित है।

- **दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 कॉरिडोर** का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में परियोजना हेतु 1306 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित है।
- **वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना** 100 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

नगर विकास

- भारत सरकार द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)** की शुरूआत की गई है। इस योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख रूपये प्रस्तावित है।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण, 2021** में प्रदेश के 18 स्थानीय निकायों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया।
- भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है। उक्त योजना हेतु **अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रॉसफार्मेशन के अन्तर्गत सहायता– अमृत 2.0** के अन्तर्गत 2000 हजार करोड़ रूपये तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) योजना** हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **केन्द्र स्मार्ट सिटी** के अन्तर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रूपये तथा **राज्य स्मार्ट सिटी** के अन्तर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 05 शहर सम्मिलित है।
- प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत अभिनव प्रयोगों एवं परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- प्रदेश में नवसृजित उच्चीकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ते हुये जनसंख्या दबाब तथा आर्थिक गतिविधियों की प्रचुरता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में उत्कृष्ट गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इनक कार्यों को सुनियोजित रूप से संपादित किये जाने हेतु नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण एवं समन्वय अत्यावश्यक है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक **प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप** के गठन का निर्णय लिया गया है।

- **महाकुम्भ मेला–2025 प्रयागराज** के आयोजन की तैयारी करने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना** हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना** हेतु 215 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं** के लिये 500 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्वावित है।
- **त्वरित आर्थिक विकास योजना** का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यो को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु 7000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण** के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा, कालाजार, जे0ई0/ए0ई0एस0 कुष्ठ रोग से प्रभावित तथा वनटांगिया एवं मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, नट, चेरां जनजाति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस0ई0सी0सी0–2011 के आधार पर आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित न होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे तथा जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 से अब तक 1.02 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। वर्ष 2022–2023 के लिए योजना हेतु 508 करोड़ 63 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लोक कल्याण संकल्प–पत्र, 2022 के क्रम में **मनरेगा योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 15463 तालाबों एवं 5882 खेल मैदानों का चयन किया गया है।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** योजनान्तर्गत देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का सृजन किया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में तीन चरणों में कुल 16 जनपदों में 19 क्लस्टर (18 गैर जनजातीय एवं 01 जनजातीय क्लस्टर) चयनित किये गये हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 155 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अन्तर्गत गत पाँच वर्षों में 3,414 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 में योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज

- पंचायतों की आर्थिक स्थिति को त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 7466 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत** वर्ष 2022–2023 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12 रूपये की दर से तथा 1460 सामुदायिक शौचालयों हेतु 3 लाख रूपये की दर से अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। योजना हेतु 1788 करोड़ 18 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2022–2023 में ठोस तरल अपशिष्ट हेतु लक्षित 24,314 गाँव की कुल आबादी लगभग 6.46 करोड़ को **ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन** से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना** अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 539 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना** हेतु वर्ष 2022–2023 में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना** हेतु 01 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि

- प्रदेश में 165.38 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रदेश में उत्तरोत्तर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार प्रयासरत है।
- वर्ष 2020–2021 में 619.47 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है।

- **नमामि गंगे स्वच्छता अभियान** के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल प्रबन्ध योजना के लिये 97 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 45.44 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।
- **गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान** हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खाण्डसारी इकाईयों के लाइसेंस हेतु चीनी मिल से न्यूनतम दूरी की बाध्यता 15 किमी से घटाकर 7.5 किमी कर दी गयी है जिसके फलस्वरूप विगत 25 वर्षों में प्रथम बार 277 नई खाण्डसारी इकाईयों हेतु लाइसेंस निर्गत हुए।

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

- प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित कर क्रियाशील किया गया है।
- कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु गोण्डा में एक नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जनपद लखीमपुर खीरी तथा आजमगढ़ में नव स्थापित कृषि महाविद्यालयों को गत वर्ष से क्रियाशील बनाया गया है।
- चन्द्रशेखर आजार कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर कैम्पस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 08 करोड़ 58 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न फसलों की नवीन प्रजातियों को वर्ष 2021–2022 में विकसित किया गया है जो विमोचित की जा चुकी हैं तथा कुछ विमोचन के लिये तैयार हैं।

दुग्ध विकास

- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में प्रदेश में 8615 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 1.86 लाख लीटर प्रतिदिन तरल दूध की बिक्री की गयी।

- भारतीय गोवंश द्वारा दुग्ध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन स्वरूप **नन्द बाबा पुरस्कार** से सम्मानित किया जायेगा।
- वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद वाराणसी में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट एवं जनपद मेरठ में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79 करोड़ 82 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम** के अन्तर्गत खुरपका–मुँहपका एवं ब्रूस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु ऐक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2030 तक प्रदेश को खुरपका–मुँहपका से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य है। खुरपका–मुँहपका टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अद्यतन 1,79,717 टीकाकरण एवं ब्रूस्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 18,69,166 टीकाकरण किया गया है।
- **निराश्रित/ बेसहारा गोवंश** की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 वृहद गो–संरक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है जिसके सापेक्ष 171 केन्द्रों का निमार्ण कार्य पूर्ण है।
- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश** की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05–05 **गो–आश्रय केन्द्र** स्थापित है।
- निराश्रित/ बेसहारा गोवंश के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6195 **गो–आश्रय स्थल** स्थापित हैं जिनमें 09 लाख 67 हजार 923 गोवंशीय पशु संरक्षित किये गये हैं।
- **मुख्य मंत्री निराश्रित/ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत** 01 लाख 31 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक लाभार्थियों की सुपुर्दगी में दिये गये है।

मत्स्य

- प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण, सघनता एवं विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना तथा भूमि व जल का उर्वर उपयोग करना है।

- मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु **मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना** प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टाधारकों व मछुआरों को नाव क्रय करने हेतु सहायता के लिये **निषादराज बोट सब्सिडी योजना** प्रस्तावित है जिसके लिए 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास येाजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माईक्रोइरीगेशन, बुंदेलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे), गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के लिये 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- खाद्य प्रसंस्करण लघु उद्योग लगाने हेतु उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 लागू की गयी है जो उद्यमिता विकास के साथ ही कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार सृजन एवं मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है।
- असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रशिक्षण नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधायें उपलब्ध करा ये जाने हेतु **प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना** प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 120 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

- सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की **"ब्याज अनुदान"** योजना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- **अयोध्या में सीपेट केन्द्र** के निर्माण तथा संयंत्रों के क्रय हेतु 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** में वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 75000 कारीगरों को प्रशिक्षित कर टूलकिट उपलब्ध

कराया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 112 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- नये औद्योगिक आस्थानों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 जनपदों– प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भूतत्व एवं खनिकर्म

- विभाग की सेवाओं को ऑन लाईन किये जाने के उद्देश्य से ईज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत आनॅलाईन पोर्टल विकसित किया गया है।
- खनन से जुड़ी सेवाओं, यथा–साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन, बाढ़ द्वारा जमा उपखनिज के व्यवस्थापन, परियोजनाओं के निर्माण के दौरान निकले उप खनिज के निस्तारण, खनिज भण्डारण अनुज्ञा, उपखनिज परिहार हेतु पट्टा निष्पादन तथा खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के पंजीकरण की कार्यवाही आनलाईन समयबद्ध ढंग से निष्पादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- **मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार** योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना** हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत उक्त धनराशि का 34 प्रतिशत खादी कामगारों को सीधे उनके खाते में पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जायेगा, विपणन विकास हेतु 33 प्रतिशत एवं खादी संस्थाओं को 33 प्रतिशत धनराशि सहायता के रूप में दिये जाने हेतु प्राविधानित है जिससे खादी के उत्पादन में गुणोत्तर वृद्धि होगी।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से **'झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष घटक योजना** संचालित किये जाने हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- हथकरघा बुनकरों की परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु पावरलूम बुनकरों एवं हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर दिये जाने हेतु **'मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना** के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। इसके अन्तर्गत अनेक परियोजनायें संचालित की जा रही हैं जो उ0प्र0 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक हब के रूप में प्रतिष्ठित करेंगी।
- **उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति–2021** के अन्तर्गत 03 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने और 20,000 करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

बेसिक शिक्षा

- शैक्षिक सत्र 2021–2022 में 1,32,912 परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालयों में लगभग 1.66 करोड़ बच्चों का नामांकन कराया गया है। वर्ष 2022–2023 में परिषदीय विद्यालयों में **''स्कूल चलो अभियान''** के अन्तर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है।
- समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शैक्षिक सत्र 2021–2022 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक /पूर्व माध्यमिक विद्यालयों कक्षा–1 से 08 तक अध्ययन छात्र–छात्राओं के उपयोगार्थ **निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता–मोजा** की धनराशि पी0एफ0एम0एस0–डी0बी0टी0 मॉड्यूल के माध्यम से सीधे छात्र–छात्राओं के माता/पिता /अभिभावकों के आधार पर सीडेड बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की गई, जिससे 1.57 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुये। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में योजना हेतु 370 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिक विद्यालयों में गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु **मध्याह्न भोजन योजना** संचालित है। विद्यालयों में सभी जाति एवं धर्म के छात्र/छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध कराकर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द्र, एकता एवं परस्पर भाई–चारे की भावना के विकास में उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2022–2023 में प्रदेश के 1.44 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 2 करोड़

छात्रों को आच्छादित किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। योजना हेतु 3548 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त फल वितरण हेतु 166 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

- **''ऑपरेशन कायाकल्प''** के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराया जा रहा है। अब तक 1.30 लाख से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प कराया जा चुका है।

माध्यमिक शिक्षा

- मध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक पहुँच का विस्तार करने के लिये समस्त बाल विद्यालयों में सह–शिक्षा की व्यवस्था करते हुये 268 नवीन विद्यालय, 30 बालिका छात्रावास एवं 03 नये सैनिक स्कूल संचालित किये गये हैं।
- सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **संस्कृत शिक्षा** को व्यवसायपरक बनाने के लिये आधुनिक विषयों का समावेश करते हुये एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **समग्र शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं अवस्थापना विकास के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में 836 करोड़ 80 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुये गुणवत्तापूर्ण, सार्वभौमिक एवं रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने एवं **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।
- प्रदेश में **तीन नये राज्य विश्वविद्यालयों** में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का शिलान्यास किया जा चुका है तथा भवनों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में **75 नये राजकीय महाविद्यालयों** की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- उच्चतर शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु **निजी विश्वविद्यालय अधिनियम तथा नियमावली–2022** प्रख्यापित की गयी है। 03 नये निजी विश्वविद्यालय संचालित किये गये हैं।
- छात्रों को **मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण** प्रदान किये जाने हेतु संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में ऑन लाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर उसके माध्यम से रोजगार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 16 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित संस्था अर्थात 217 संस्थाएं हैं जिनमें से 168 संस्थाओं में सत्र 2021–2022 से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 49 राजकीय पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में है जिन्हें निकट भविष्य में पी0पी0पी0 मोड पर संचालित किया जाना है।
- वर्तमान में 1266 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये कुल प्रवेश क्षमता 1,26,436 है।
- प्रदेश सरकार की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी की योजना के क्रम में छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022–2023 में **''न्यू एज ट्रेडस्''** के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सेक्यूरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में विकसित किया जाना व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- वाराणसी, गोरखपुर, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की गयी, जिनमें लगभग 2000 लोक कलाकारों को रोजगार प्राप्त हुआ।
- **महर्षि वाल्मीकि जयन्ती** के अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपदों के मंदिरों में वाल्मीकि रामायण पाठ/रामचरित मानस पाठ/भजन गायन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग देश के 1000 कलाकारों ने प्रतिभाग किया।
- वाराणसी में **संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र** की स्थापना के लिय 25 करोड़ रूपये तथा **संत कबीर संग्रहालय** की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **जनजातीय संग्रहालयों** के निर्माण हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग** के निर्माण हेतु 300 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अयोध्या में जनसुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुँचमार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **ऑन लाईन एकीकृत मन्दिर सूचना प्रणाली** हेतु सॉफ्टवेयर बेवसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पर्यटन

- **उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018** के अन्तर्गत प्रदेश में 6931.81 करोड़ रूपये का निवेश अनुमानित है। पर्यटन इकाईयों के स्थापना हेतु 184 प्रस्तावों को पंजीकृत किया गया है।
- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में कुल 10 करोड़ 01 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 01 लाख है।
- प्रतिवर्ष की भॉति वर्ष 2021 में भी **अयोध्या में दीपोत्सव** का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 9,41,551 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।
- वाराणसी में **देव–दीपावली, महाशिवरात्रि, बैलून फेस्टिवल, बरसाना में भव्य रंगोत्सव, लखनऊ–रेजीडेन्सी में आजादी का**

अमृत महोत्सव पर ड्रोन एवं लेजर शो का आयोजन किया गया।

- **उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद** हेतु 03 करोड़ 50 लाख रूपये तथा **उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास** हेतु 3 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना** हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास** एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। वर्षाकाल–2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन तथा गंगा किनारे वनीकरण योजना के अन्तर्गत स्थल चयन व वृक्षारोपण किया जायेगा जिससे पर्यावरण संतुलित होगा एवं कार्बन अवशोषण के साथ–साथ जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।
- प्रदेश की जनता को पेड़–पौधों, पशु–पक्षियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील तथा जागरूक बनाने हेतु **ईको टूरिज्म** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वर्ष 2022–2023 में **सारनाथ डियर पार्क** में वन्यजीवों का प्रबन्धन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना, उत्तर प्रदेश राज्य में गैंडों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण/संकटापन्न वन्यजीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं वृहद संरक्षण योजना, राज्य आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबन्ध की स्थापना योजना हेतु 03 करोड़ 77 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहीद अशफॉक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान, गोरखपुर, सोसाइटी हेतु कॉर्पस फण्ड की स्थापना के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 12 प्रमुख नदियों का 141 बिन्दुओं पर सघन अनुश्रवण तथा 319 नालों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे किसी भी परिस्थिति में प्रदूषित उत्प्रवाह का निस्तारण नदी/नालों में नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 110 सीवेज उत्प्रवाह संयंत्रों ,07 संयुक्त उत्प्रवाह

शुद्धिकरण संयत्र एवं 1560 अति प्रदूषणकारी औद्योगिक ईकाइयों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- वर्ष 2021–2022 में **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना** हेतु 13,77,213 छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 1672 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- **अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्वदशम छात्रवृत्ति** योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु 195 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना** हेतु 479 करोड़ 07 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा तथा पेयजल की योजनाओं के विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्टस डिस्ट्रिक्स प्लान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्याय

- **उ0प्र0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज** के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गयी है ।
- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्यों हेतु 705 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- **उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि** में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं, को पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि से धनराशि रूपये 1.50 लाख दी जाती थी, जिसे बढ़ा कर 5 लाख रूपये कर दिया गया है। **अधिवक्ता कल्याण निधि** हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 90 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों में **अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास** हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य एवं रसद

- **अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को** निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइण्ड नमक, **एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों** को 02 निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलिडर रीफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15000 रूपये की सहायता पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अब तक 12 लाख 68 हजार लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले **पोषाहार हेतु** 1675 करोड़ 29 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं हेतु संचालित **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना** के अन्तर्गत अब तक 01 लाख 74 हजार 326 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिये संचालित कन्या विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत लगभग 94 हजार कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया।
- महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिये **मिशन शक्ति** को पूरे राज्य में व्यापक रूप से लागू किया गया है और हम इसके चौथे चरण में प्रवेश करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं।

परिवहन

- जनता को सुरक्षित, सुलभ, सतत, मितव्ययी व ईको फ्रेण्डली परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृतसंकल्प है। यात्रियों को सुगम टिकटिंग व सूचना प्रणाली हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रतिष्ठित सेवाओं में इण्टरनेट आधारित अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

- विगत पाँच वर्षों से रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत लगभग 51.52 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा से लाभान्वित किया गया है।
- अन्तर्राज्यीय मार्गों पर जन सामान्य को सड़क यातायात की सुगम एवं समन्वित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान, उत्तराखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर तथा बिहार राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन करार के उपरान्त बस संचालन प्रारम्भ किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया है।
- बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को, लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पी0पी0पी0 पद्धति पर विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिशील है।

राजस्व

- **राज्य आपदा मोचक निधि** हेतु 2165 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड** हेतु 541 करोड़ 40 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष 14.98 लाख कृषकों को 526.13 करोड़ रूपये का कृषि निवेश अनुदान प्रदान किया गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया पूर्व चेतावनी तंत्र पूरे देश में इस प्रकार का एक अभिनव माडल है, जिसमें मौसम विभाग द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड मौसम पूर्व चेतावनियों व एलर्ट को बिना किसी टाईम लैग के साफ्टवेयर इंटीग्रेशन के माध्यम से एस0एम0एस0 व आई0वी0आर0एस0 कॉल्स द्वारा पोर्टल में दर्ज लगभग 1.25 करोड़ जनता को रियल टाइम में प्रेषित कर उन्हें बचाव हेतु जानकारी दी जाती है।
- प्रथम बार सरकार की आपदा राहत योजनाओं को आम जनमानस के बीच सुगमता से पहुँचाने के लिए तथा आपदा से होने वाली क्षति को दर्ज करने हेतु जनता को ऑनलाईन प्लेटफार्म प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **"आपदा प्रहरी"** ऐप विकसित किया गया है।

मान्यवर,

विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय–व्ययक में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं, राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 24. हजार 477 करोड़ रुपये (1,24,477 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 49 हजार 152. करोड़ रुपये (49,152 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 29 हजार 692 करोड़ रुपये (29,692 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 10 हजार 887 करोड़ रुपये (10,887 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022–2023

मान्यवर,

- प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 15 हजार 518 करोड 97 लाख रुपये (6,15,518.97 करोड़ रूपये) है।
- बजट में 39 हजार 181 करोड़ 10 लाख रुपये (39,181.10 करोड़ रूपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 5 लाख 90 हजार 951 करोड़ 71 लाख रुपये (5,90,951.71 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 4 लाख 99 हजार 212 करोड़ 71 लाख रुपये (4,99,212.71 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 03 लाख 67 हजार 153 करोड़ 76 लाख रुपये (3,67,153.76 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 20 हजार 655 करोड़ रुपये (2,20,655 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 46 हजार 498 करोड़ 76 लाख रुपये (1,46,498.76 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय 06 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये 6,15,518.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में 04 लाख 56 हजार 89 करोड़ 6 लाख रुपये (4,56,089.06 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 91 हजार 739 करोड़ रुपये (91,739 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 24 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (24,567.26 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है ।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 6 हजार करोड़ रुपये (6000 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 18 हजार 567 करोड़ 26 लाख रुपये (18,567.26 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 40 हजार 550 करोड़ 03 लाख रुपये (40,550.03 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 21 हजार 982 करोड़ 77 लाख रुपये (21,982.77 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 43 हजार 123 करोड़ 65 लाख रुपये (43,123.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 81 हजार 177 करोड़ 97 लाख रुपये (81,177.97 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है।

मान्यवर,

माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में तैयार किया गया बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। हमने अपेने संसाधनों को विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिये इस प्रकार संतुलित ढंग से आवंटित किया है कि न केवल उन क्षेत्रों में विकास हो, अपितु विभिन्न क्षेत्र अन्योन्य रूप से समग्र विकास में योगदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जा से परिपूर्ण नेतृत्व में हम अपराधियों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंग, हम महिलाओं, बच्चों और युवाओं को सशक्त बनायेंगे, हम कृषि, विनिर्माण, अवस्थापना, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में

नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी की कार्य शैली के संबंध में कहना चाहूँगाः–

''मेरे जुनूं से नतीजा जरूर निकलेगा,
इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा।।''

मान्यवर,

मैं, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों और प्रदेश की मंत्रिपरिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है ।

इन्ही शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2022–2023 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ।

वंदे मातरम्

ज्येष्ठ 05, शक संवत् 1944
तद्नुसार,
दिनाँक : 26 मई, 2022